भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(36)नविवि/NAHP/2014 पार्ट–05882 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेश:–

मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के प्रावधान 4ए(1) के तहत नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास में पूर्ण आवासों का कब्जा देने, निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने इत्यादि के संबंध में आ रही समस्याओं हेतु संभावित समाधान/सुझावों के क्रम में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. **विलम्ब किश्तों की राशि पर लागू ब्याज/शास्ति**–मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4ए (1) के तहत नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में आवंटी द्वारा तय किश्तें जमा नहीं करने पर आंवटियो को राहत प्रदान करते हुऐ दिनांक 31.03.2026 तक विलम्ब राशि एकमुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज शास्ति मे शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। छुट आदेश प्रसारित होने की दिनांक से लागू होगी। पूर्व में निर्णित प्रकरणों में प्रतिदाय (Refund) देय नहीं होगा।

2. **बाह्य विकास कार्यों का पूर्ण ना होना**–बाह्य विकास कार्यों के खर्च के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जनआवास योजना–2015 के प्रावधान संख्या 4ए (1) में निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित है–Cost of External Development will be borne by Local Authority on EWS/ LIG component and cost of external development on 25% of remaining land will be paid by developer.

अतः ऐसी परियोजनाऐ जिनमे आवासो का निर्माण पूर्ण किया जाकर आंवटियो को कब्जा प्रदान किया जा चुका है, परन्तु बुनियादी सुविधा यथा सडक, पानी, बिजली के अभाव में आवास में आंवटी नहीं रह रहे है, ऐसी परियोजनाओ के संबंध मे संबंधित निकाय स्तर से बाह्य विकास कार्यों की लागत का आंकलन कर बजट का प्रावधान किया जाकर बाह्य विकास कार्य पूर्ण करावें।

3. **दोषी आवंटियो के आवंटन के निरस्तीरकण मे विलम्ब**–मुख्यमंत्री जनआवास योजना–2015 में आवंटी द्वारा बकाया किस्ते जमा नहीं करवाने के क्रम में किस प्रकार कार्यवाही की जानी है, के संबंध में स्पष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं है। परन्तु जनआवास योजना–2015 की सामान्य शर्तों के बिन्दु संख्या 01 (b) (iv) पर निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित **है**–The flat allotted to applicant must be occupied within one year of taking over the possession of the same failing which the allotment may be cancelled and allotted to another applicant from the waiting list.

अतः जिन आवंटियों द्वारा लम्बे समय से किश्तें जमा नहीं करवायी जा रही है उनसे नगरीय निकाय/ विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास द्वारा एकमुश्त राशि जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुऐ 45 दिवस मे बकाया राशि जमा कराने

RajKaj Ref No.: 20199197
eSign 1.0
Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.02.18 13:23:20 IST
Reason: Approved

नोटिस जारी किया जावे। यदि किसी आवंटी द्वारा नोटिस जारी होने के उपरान्त भी निर्धारित अवधि में एकमुश्त राशि/किश्त जमा नहीं करवायी जाती है तो नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा आंवटित आवास के आवंटन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतीक्षा सूची में से क्रमवार आंवटन अथवा नवीन आवेदन प्राप्त कर पात्र आवेदनो को लॉटरी के माध्यम से नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जावे।

यह आदेश वित्त(व्यय–3) विभाग के आई.डी.स.172502821 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजीसचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————————।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.: 20199197
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.02.18 13:23:20 IST
Reason: Approved